न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4099–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 113/अपील/10–11.

———

मनबहोर पिता नारायण कोटवार
निवासी ग्राम झोखों तह. चितरंगी
जिला सिंगरोली म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

बेनी प्रसाद पिता श्री भगवानदास केवट
निवासी ग्राम झोखें तह. चितरंगी
जिला सिंगरोली म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री हेमकुमार अग्निहोत्री, अधिवक्ता, आवेदक।
श्री के. के. पाण्डेय, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

( आज दिनांक 07, अगस्त 2014 को पारित )

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 113/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15–10–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–01 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 10–8–10 द्वारा स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा

स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि प्रश्नाधीन आराजी का पट्टा 75–76 में उनके नाम दिया गया, तभी से वे काबिज कास्त चले आ रहे हैं । विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की साक्ष्य के आधार पर उनके पक्ष में आदेश दिया गया था ।

यह तर्क दिया गया कि बंदोवस्त में अनावेदक की आराजी का नया नंबर 462 / 0.35 व 463 / 1.07 निर्मित किया गया किंतु नये बंदोवस्त में 462 के बजाय 478 अनावेदक के नाम दर्ज की गई जबकि 462 म.प्र. दर्ज है । विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक का मौके पर कब्जा दखल के आधार पर आदेश दिया गया था । प्रकरण में जो प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक ने दिया है उसमें आवेदक मनबहोर का मकान सर्वे नं. 478 रकबा 0.35 पर बने होने का उल्लेख है और इसी कारण विचारण न्यायालय ने आवेदक के नाम 478 आवेदक के नाम तथा 462 एवं 463 अनावेदक के नाम दर्ज करने का आदेश दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 478 नंबर की भूमि को अनावेदक की मानने तथा 462 एवं 463 नं. की भूमि को आवेदक की मानने में त्रुटि की गई है, इस कारण अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अभिलेख में राजस्व निरीक्षक का जो प्रतिवेदन है उसमें आराजी नं. 462 एवं 463 पर अनावेदक का कब्जा है तथा आराजी नं. 478 पर आवेदक का कब्जा है । उक्त स्थिति स्थल पंचनामा में भी पाई गई है । उन्होंने यह पाया है कि आवेदक ने आराजी नं. 462 को आराजी नं. 118 / 29 का टुकड़ा बताया गया है जबकि मूल रूप से आराजी नं. 462 आराजी नं. 118 / 17 से निर्मित हुई है तथा अनावेदक को वंटन में प्राप्त हुई थी । उक्त आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपील को

स्वीकार किया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर